

डायरी संख्या..... 509 / कं०/सि०वि०
दिनांक..... 24/01/18 लखनऊ

डायरी सं० 454 / नु०अ० (सां०वि०)
दिनांक..... 19/1/18 प्राधिकृत संख्या- 651 / 2017-18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-1056 / आई०बी० / 22ए-108बी / अनु०-94 / पूंजीलेखा / आवंटन / डिक्लीटल / 2016-17, लखनऊ:दिनांक:जनवरी 15, 2018
कार्यालय झाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत भू-प्रतिकर मद में शासनादेश सं०-02/1520/17-27-सिं-3-08एल०ए०/13, दिनांक-10.01.2018 द्वारा ग्राम-फिरोजपुर उर्फ हैदराबाद, परगना-बाढापुर, तहसील-नगीना, जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित मा० न्यायालय में चल रहे भू-संदर्भवाद संख्या-134/2005 खडक सिंह बनाम उ०प्र० सरकार में मा० जनपद न्यायालय बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.05.2012 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय में लम्बित प्रथम अपील संख्या-192/2013 खडक सिंह बनाम उ०प्र० सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन जनपद न्यायालय में अन्डर प्रोटेस्ट जमा किए जाने हेतु डिक्लीटल धनराशि रु 2,53,465.00 (रु दो लाख तिरपन हजार चार सौ पैंसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है :-

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 19-पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 050-भूमि 10-नहरें 1016-भू-प्रतिकर 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(पूर्वीगंगा) मुरादाबाद	2,53,465.00

(रु दो लाख तिरपन हजार चार सौ पैंसठ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-10.01.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

मूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सि० एवं ज० सं० वि०।

संख्या-जी-1056 / (1) / आई०बी० / तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
4. मुख्य अभियन्ता (रुहेलखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद को उक्त शासनादेश की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि भू-प्रतिकर मद में आवंटित धनराशि का मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एम-8 पर मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर।
10. अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद।
11. जिलाधिकारी, बिजनौर।
12. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
13. कट फाईल हेतु।

SECC.(1.)

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि० वि०।